मु०नं० 14 फारम संख्या 562

# न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

**आदेश पत्रक** सनातन प्रसाद वगै० ........ प्रथम पक्ष

बनाम

पक्ष कामेश्वर साव वगै० ........ द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ........................ से ........................ तक

जिला गिरिडीह।

**विविध वाद संख्या** ........213........ **सन् 2021**

**धारा** 144 **द०प्र०स०**

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 13/12/21 | अभिलेख उपस्थापित। <br><br> आवेदन सनातन प्रसाद पिता – दामोदर प्रसाद साकिन – बगोदर, थाना – बगोदर, जिला – गिरिडीह से प्राप्त आवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की अशंका है एवं उभ्य पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाई आवश्यक है। <br><br> इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्व धारा 144 द० प्र० सं० के अर्न्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादित ग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक – 23/12/21 .......... को कारण पृच्छा की माँग की जाती है कि क्यों नही एक या दोनों पक्षों के विरूद्व निरोधारत्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। <br><br> विवाद ग्रस्त भूमि का विवरण :– <br><br> मौजा – बगोदर, खाता सं० – 283, प्लॉट सं० – 203, रकवा 2.83 डी० एवं खाता सं० – 283, प्लॉट सं० – 203 रकवा 2.83 डी० सम्मिलात चौहदी :– उ० – ठकुरी तेली, द० – अनहछ तेली, पू० – रास्ता, पं० – नीज <br><br> लेखापित एवं संशोधित <br><br> 13/12 <br><br> अनु० दण्डा० <br> बगोदर - सरिया | |

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 23.12.21 | अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। <br> To 06/01/22 <br> (हस्ताक्षर) | |
| 06/01/22 | अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष के धारा 188 IPC के अंतर्गत निषेधाज्ञा उल्लंघन का आवेदन समर्पित। जाँच हेतु CO/MC को भेजी। <br> 20/01/22 <br> (हस्ताक्षर) | |
| 20/01/22 | अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। <br> to <br> 03/02/22 | |
| 03/02/22 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित द्वितीय पक्ष वकालतन उपस्थित। निषेधाज्ञा के उल्लंघन के सम्बन्ध में अंचल अधिकारी बगोदर का प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार द्वितीय पक्ष के धारा 144 लागू रहने के बावजूद मकान निर्माण कर दिया गया है। अतः धारा 188 IPC के अंतर्गत | |

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | कार्यवाई प्रारम्भ करें तथा द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।<br><br>TO 10/08/22<br><br>[signature] | |
| 10/08/22 | अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षों द्वारा अपने दावों के समर्थन में लिखित अभिकथन एवं दस्तावेजों की छाया प्रति दाखिल किया गया।<br>प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार मौजा : बगोदर, थाना - बगोदर में स्थित खाता - 283, प्लाट सं० - 203 रकबा 2.83 डी. खतियान से एवं 2.83 केवाला से उनके स्वामित्व एवं हिस्से की है। प्रश्नागत भूमि के खतियानी रैयत धर्मी नेजी है जो प्रथम पक्ष के परदादा हैं। 2.83 डी. भूमि आवेदक सं0-2 को पंजी हेतु विक्रय पत्र के माध्यम से डेगीलाल साव एवं वाजी साव से हासिल है। आपसी बंटवारा | |

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | खतौदगी के पश्चात प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि पर दखलकार रहे हैं। खतौदगी भूमि की चकबन्दी कायम है। द्वितीय पक्ष के द्वारा उनके शांतिपूर्ण दखल-कब्जा को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में खतियान की छाया-प्रति, सरकारी लगान रसीद सं० 091057 एवं 019026 की छाया प्रति, निबंधित विक्रय पत्र की छायाप्रति, वंशावली की छाया प्रति दाखिल किया गया है तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निषेधाज्ञा को [illegible] करने का अनुरोध किया गया।<br>द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित कारण पृच्छा दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर कभी दखलकार नहीं रहे हैं। विवादित जमीन का कुछ अंश उनके पत्नी एवं पोतनी के नाम से हासिल है। वर्ष 1955 ई० में इनके दादा [illegible] तेली को प्लाट सं० 203 रकबा - 17 डी. पूर्ण रूप से बेरबारी के माध्यम से खरीदा प्राप्त है। प्रथम पक्ष को 5.66 डी. केवाला द्वारा हासिल है, सरासर गलत है। द्वितीय पक्ष के द्वारा | |

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

अपने दावे के समर्थन में विक्रय पत्र सं० 9293 की छाया प्रति इंदू देवी वगै० के लगान रसीद की छाया प्रति, पंजी-II की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

थाना प्रभारी, बगोदर एवं अंचल अधिकारी, बगोदर का प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम पक्ष के पिता दमोदर प्रसाद के नाम से केवाला सं० 2219, दिनांक - 03.11.1972 के द्वारा हासिल है। ऑनलाईन पंजी-II के अनुसार दमोदर प्रसाद के नाम जमाबंदी कायम है तथा प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है।

दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। खतियान के अनुसार खाता - 283, प्लाट 203 का कुल रकबा 17 डी. है जिसके 5.66 डी. जमीन पर प्रथम पक्ष का दावा है, जबकि द्वितीय पक्ष 11¾ डी. का रसीद एवं दावा प्रस्तुत किया गया है। कुल रकबा 17 डी. में उभय-पक्ष को अलग-अलग भूमि प्राप्त है।

उक्त विवेचन के आलोक में नियमन को द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष घोषित करता हूँ तथा प्रथम पक्ष के हित में रिक्त घोषित करता हूँ।

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | यह आदेश नोटिस निर्गत करने की तिथि (15/12/21) से दो महीने के लिये प्रभावी होगा। बाद की कार्यवाई को समाप्त किया जाता है। <br> 10/3/22 <br> SDM, Bagodar-Sariya. | |

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.03.22 16:32:34 +05:30
Location: 192.168.1.10